न्या. समक्ष श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, सदस्य संभाग सागर म.प्र.

R-241-II/12

1. सुशील कुमार तनय स्व. श्री राजकुमार गुप्ता
   निवासी – 8/110 में पीछे कुलिया में सदर बाजार सागर म.प्र.।
2. बसन्त कुमार तनय स्व. श्री राजकुमार गुप्ता
   निवास – ग्राम भैंसा पगारा, तह. व जिला सागर म.प्र.।

– पुनरीक्षणकर्तागण

।। विरुद्ध ।।

कृष्णा देवी पत्नि स्व. श्री राजकुमार गुप्ता
निवास 8/110 सदर बाजार तह. व जिला – सागर म.प्र.।

– अनावेदिका

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. सं.

पुनरीक्षणकर्तागण अतिरिक्त कलेक्टर सागर के पुनरीक्षण कमांक 71 अ/06 वर्ष 2009–10 पक्षकार सुशीलकुमार एवं अन्य विरुद्ध कृष्णादेवी में पारित आदेश दिनांक 26 दिसम्बर 2011 के विरुद्ध यह पुनरीक्षण निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करते हैं –

– प्रकरण के तथ्य –

1. यह कि तहसीलदार सागर के समक्ष कृष्णादेवी के नाम से एक प्रकरण चल रहा था जिसमें साक्ष्य के दौरान कृष्णादेवी ने जो कथन किए उसके मद्देनजर पुनरीक्षणकर्तागण ने एक आवेदन दिनांक 12.05.2010 को धारा 39 म.प्र.भू.रा.सं. का इस आशय का लगाया था कि कृष्णादेवी के नाम से तहसीलदार सागर के यहाँ प्रस्तुत प्रकरण कृष्णादेवी द्वारा स्वतः नहीं चलाया जा रहा है, न ही उनके मान्य अभिकर्ता द्वारा या उनके द्वारा निर्देशित किसी विधि व्यवसायी द्वारा वह प्रकरण चलाया जा रहा है ऐसी स्थिति में वह प्रकरण प्रचलन योग्न नहीं है, निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि धारा 39 म.प्र.भू.रा.सं. उक्त बताए 3 वर्गों के लोगों को ही राजस्व न्यायालयों के समक्ष प्रकरण चलाने की अनुमति देती है।

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—741—दो/2012 जिला—सागर

सुशील कुमार व अन्य विरूद्ध कृष्णादेवी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22—08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अतिरिक्त कलेक्टर, जिला—सागर के प्रकरण क्रमांक 71/अ—06/2009—10 में पारित आदेश दिनांक 26—12—2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11—09—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	